WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112024-258814
CG-DL-E-21112024-258814

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4613] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 21, 2024/कार्तिक 30, 1946
No. 4613] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2024/KARTIKA 30, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2024

सं. 82/2024- सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 5002(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 63/1994- सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 21 नवंबर, 1994, जिसे का.आ. 830 (अ), दिनांक 21 नवंबर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में एतद्द्वारा आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना के प्रारंभिक पैराग्राफ में चौथे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते और भी केवल निम्नलिखित वर्ग के माल को बलाट, कलाइचर, श्रीनगर, कमलासागर, भोलागंज, नालीकाटा और रींक्यू सीमा हाटों पर निकासी की अनुमति होगी, यथा:-

(क) स्थानीय तौर पर उत्पादित सब्जियां, खाद्य पदार्थ, फल, मसाले;

(ख) लघु एवं वन उत्पाद जिसमें बांस, बांस घास और झाड़ू छड़ी आते हैं, लेकिन लकड़ी को छोड़कर;

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

(ग) कुटीर उद्योगों के उत्पाद जैसे गमछे, लुंगी, साड़ी और कोई अन्य हथकरघा उत्पाद;

(घ) छोटे घरेलू और कृषि उपकरण जिसमें दाओ, हल, कुल्हाड़ी, फावड़ा, छेनी और इसी प्रकार के सामान; तथा

(ङ) परिधान, मेलामाइन उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, फलों का रस, प्रसाधन सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन, प्लास्टिक उत्पाद, एल्यूमीनियम उत्पाद, कुकरी, स्टेशनरी।

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "स्थानीय तौर पर उत्पादित" शब्द का तात्पर्य संबंधित सीमा जिले के उत्पाद से होगा।"

[फा. सं. 550/3/2010-एलसी]

मेघा बंसल, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 63/1994-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 को का.आ. 830(अ), दिनांक 21 नवम्बर, 1994 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 71/2024-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 29 अक्तूबर, 2024 जिसे का.आ. 4744 (अ), दिनांक 29 अक्तूबर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2024

No. 82/2024 - Customs (N.T.)

S.O. 5002(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 63/1994-Customs (N.T.) dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 830 (E), dated the 21st November, 1994, namely: -

In the said notification, in the opening paragraph, for the fourth proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided also that the clearance of the following class of goods only shall be permitted at Balat, Kalaichar, Srinagar, Kamalasagar, Bholaganj, Nalikata and Ryngku Border Haats, namely:-

(a) locally produced vegetables, food items, fruits, spices;

(b) minor forest produce including bamboo, bamboo grass and broom stick but excluding timber;

(c) products of cottage industries like gamcha, lungi, saree and any other handloom product;

(d) small household and agricultural implements including dao, plough, axe, spade, chisel and the like; and

(e) garments, melamine products, processed food items, fruit juice, toiletries, cosmetics, plastic products, aluminum products, cookeries, stationery.

Explanation.- For the purposes of this notification, the term "locally produced" shall mean produce of the concerned border district."

[F. No. 550/3/2010-LC]

MEGHA BANSAL, Under Secy.

Note: The principal notification No. 63/1994-Customs (N.T.), dated 21st November, 1994 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 830(E), dated the 21st November, 1994 and was last amended, *vide* notification No. 71/2024-Customs (N.T.) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4744 (E), dated the 29th October, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.